



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1948 (श10)
(सं0 पटना 1148) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
23 सितम्बर 2026

सं0 सं0-10/नि0-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026-5814—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार निबंधन शुल्क तालिका के अधीन अनुच्छेद सं0-A(1) में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ते हैं:-

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का प्रकार	देय निबंधन शुल्क
A(1)	"रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) दस्तावेज"	व्यावसायिक इस्तेमाल वाली भूमि के लिए लागू प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी (एम0भी0आर0) और खेती के इस्तेमाल वाली भूमि के लिए लागू एम0भी0आर0 के बीच के अंतर का 2 प्रतिशत अर्थात:- रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) निबंधन शुल्क = (व्यावसायिक एम0भी0आर0 - कृषि एम0भी0आर0) x 2%

2. उक्त फीस अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबन्धन विभाग
(निबन्धन)

अधिसूचना

23 सितम्बर 2026

सं० सं०-10/नि०-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026-5814—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Department of Prohibition, Excise & Registration
(Registration)

Notification

The 23rd September 2026

F.No. 10/Ni-10-(MVR Punirakshan)-03/2026-5814—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 The Governor of Bihar is pleased to insert the rate of Registration Fee in Article A(1) under Table of Fees:-

Article No.	Types of Document	Registration Fee Payable
A(1)	“Conversion Deed”	2% of the differential value between the Minimum Value Register (MVR) applicable to the land for commercial use and the MVR applicable to the land for agricultural use, namely: Conversion Registration Fee = (Commercial MVR – Agricultural MVR) × 2%

2. Said Registration Fee shall be effective from the date of issuance of the notification.

By the order of Governor of Bihar,
Sanjai Kumar,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1148—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>